धीरे-धीरे पकड़ बना रहा है निजता का मुद्दा

कर्णिका सेठ

निजता के अधिकार का सीधा और सरल अर्थ है- अपनी निजी जानकारियों की रक्षा करना। निजी अथवा व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील जानकारी का साझा किया जाना संबंधित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इस अर्थ में निजता के अधिकार को 'किसी व्यक्ति के निजी स्पेस, उसके द्वारा तय की गई सीमाओं और दूसरे लोगों के साथ भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपर्क के स्वरूप और विस्तार' के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान डिजिटल युग में, निजता की धारणा और अवधारणा क्रांतिकारी रूप से बदली और विकसित हुई है। इसके चलते एक ओर 'निजी स्पेस' की तलाश हमें अपने-अपनों से दूर ले जा रही है, दूसरी ओर फेसबुक, ट्विटर, आरकुट, गूगल प्लस या लिंक्डन जैसे सोशल-साइट्स का दामन थाम हम आभासी रिश्तों को जीने की राह पर चल पड़े हैं। एक ओर हम 'प्राइवेसी एचीव' करने के लिए अपने चारों ओर दीवारें खींच लेते हैं, तो दूसरी ओर हम खुद ही मुक्त भाव से सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारियों को अपने 'फ्रेंड्स' के साथ शेयर करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स को अपना निजी डेटा उपलब्ध कराते हैं और इ-सर्विस का लाभ लेने के लिए निजी जानकारियों को अनजान लोगों से साझा करने में पल भर की देर नहीं करते।

इंटरनेट और कंप्यूटर के इस समय में, जहाँ हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंकडिन जैसे सोशल साइट्स के जरिए हम अपने घर, परिवार और काम से जुड़ी निजी जानकारियाँ बाढ़ की तरह शेयर करते जा रहे हैं, यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ग्लोबल पीढ़ी निजता की अवधारणा को समझती है, उसका सम्मान करती है? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें क्या, कितना और किसके साथ शेयर करना है, यह हमारा सोचा-समझा निर्णय होता है। हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारियों का स्वभाव अलग-अलग हो सकता है, लेकिन अंततः वे हमारी निजी

कर्णिका सेठ

साइबर अधिवक्ता और नीति निर्माता।

जानकारियाँ हैं। किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से अपेक्षा करने से पहले हमें खुद अपनी निजता का मूल्य समझना होगा। हमें समझना होगा कि अंततः यह हमारी निजताएँ ही हैं, जो हमें अलग पहचान देती हैं और ऑन-लाइन या ऑफ-लाइन अपनी निजता को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। प्राइवेसी एक ऐसी स्थिति है, जिसे कोई बड़ी आसानी से गंवा सकता है खासतौर पर सोशल-मीडिया पर अपनी निजी बातें साझा करके...।

मुझे लगता है, निजता का सवाल जितना पश्चिमी दुनिया के लिए मायने रखता है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भारत के लिए भी है। इसलिए नेटजेन को सोशल इंजीनियरिंग की गड़बड़ियों और ऑनलाइन साइबर क्राइम के दुरुपयोग/खतरों की जानकारी होनी चाहिए। विशेष रूप से साइबर बुलिंग (किसी को अपमानित या प्रताड़ित करने, धमकाने, परेशान करने या बदनाम करने के इरादे से डिजिटल तकनीकियों का प्रयोग), मार्फिंग (कंप्यूटर की मदद से इमेज बदलना), एक्स्टोरेशन (जबरन वसूली), इंटीमीडिएशन (धमकी) आदि की...। इसीलिए सबसे पहला सवाल हमें खुद से करना चाहिए कि निजता की कीमत पर सोशल होना एफोर्ड नहीं करना चाहेंगे? और उसके बाद सिस्टम से कि हम जो डेटा ऑन-लाइन साझा करते हैं, उसका उपयोग कहाँ और किस तरह होता है? क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? साइबर-घुसपैठियों से अपनी निजता को कैसे बचाया जा सकता है? निजता से जुड़े कानून हमारी किस तरह सहायता करते हैं? किस तरह प्रभावित करते हैं? क्या सरकार हमारे निजता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है?

एक साइबर-अधिवक्ता के तौर पर 'प्राइवेसी' से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूंगी कि हालांकि आर्टिकल 21 के तहत भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, लेकिन यह परम या निरंकुश अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 के अनुसार, 'यदि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या कानून व्यवस्था और सौजन्यता से जुड़े हित खतरे में हों, तब किसी अपराध को भड़कने से रोकने के लिए केंद्रीय सरकार को निजता के अधिकार पर अर्थपूर्ण प्रतिबंध लगाने, इंटरनेट ट्रैफिक या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रोकने, कोड बदलने या निगरानी रखने का अधिकार है।' माने कानून प्रत्येक व्यक्ति, दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संवाद और संपर्क की सीमा चुन सकता है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल जैसी विशेष परिस्थितियाँ सरकारी तंत्र को निजता के अधिकार को खारिज करने, इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन रोकने या उस पर नजर रखने का विशेषाधिकार देती है। लेकिन हाँ 'यूजर्स के लिए निजी तौर पर संवेदनशील सूचनाएँ, आरटीआई के उत्तर में साझा नहीं की जाएंगी।'

साइबर-स्पेस में जिस तरह से अचानक गैर कानूनी गतिविधियाँ तेजी से बढ़ी हैं, उन्हें देखते हुए न हम ऐसी नियंत्रक शक्तियों का महत्व कम करके आंक सकते हैं और न इनकी जरूरत खारिज कर सकते हैं। हालांकि कई बार एक व्यक्ति को यह पता भी नहीं चल पाता कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन बाधित किए जा रहे हैं या उन पर निगाह रखी जा रही है। बल्कि यदि ऐसी बात संज्ञान में आती भी है, तो ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के प्रावधानों और गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता के कारण वह इसका कारण नहीं जान सकता/सकती। लेकिन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संचार-संपर्क सूत्रों-साधनों पर निगरानी कायम करने (सर्विलांश) या रोकने के उद्देश्य से स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकार के पास कुछ तार्किक

आधार या ठोस सबूत होने चाहिए। अन्यथा सर्विलांश प्रावधानों के दुरुपयोग का खतरा हो सकता है। ऐसी मनमानी की जांच करने के लिए 'रिव्यू कमेटी' की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1996) ईएसए सुप्रीम कोर्ट ने फोन टेपिंग मामलों में निगरानी और अवरोध के न्यायसंगत अभ्यास के लिए नियम निर्धारित किए। साइबर स्पेस में भी इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को वैधता देनी चाहिए। वैसे जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी की सिफारिशों पर आधारित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाकर भारत में डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत किया जा रहा है।

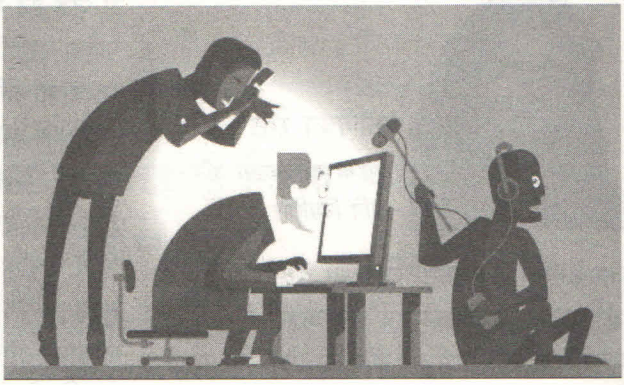

एक पक्ष यह भी है कि हम सभी के लिए प्राइवेसी बराबर मायने रखती है। हर कोई कुछ निजता चाहता है। लेकिन यह केवल सरकारी नहीं 'एक प्राइवेट-कंसर्न' भी है। इसलिए अगर किसी भी वेब सर्विस को सब्सक्राइब या डाउनलोड करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से पढ़ने की सलाह दी जा रही है, तो कृपया उसे ठीक से पढ़ें। आईटी रूल्स 2011 के मुताबिक भारत में संचालित हर वेबसाइट के लिए अनिवार्य है कि वह उपयोगिता की शर्तें और गोपनीयता की नीतियों को साझा करे। बावजूद इसके आए-दिन निजता के उल्लंघन और डेटा लीक जैसी खबरें कानों से टकराती ही रहती हैं।

मुझे लगता है कि नए कानून आने से डेटा चोरी और निजता की सीमाओं का अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति रुकेगी। लोगों और संस्थाओं से भी कानूनों पर पुख्तगी के साथ अमल करने और पालन करने की उम्मीद है, क्योंकि अब जुर्माना बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हाल में ही आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत 'शक्ति विस्तार' किया है। फिर भी इंटरमिडियरी रूल्स ऑफ 2011 का वर्तमान क्रियान्वयन तार्किकता, निष्पक्षता, समानता और शक्ति के न्यायसंगत अभ्यास के आधार पर परखा जाएगा। लेकिन हमारे कानूनों के सामने साइबर स्पेस में उभरती परिस्थितियों को समझने और उसी रूप में उनका जवाब देने की बड़ी चुनौती है। लेकिन खुशी की बात है कि निजता का मुद्दा धीरे-धीरे अपनी जगह और पकड़ बना रहा है। पिछले वर्ष इस मुद्दे पर नया कानून लाने के लिए काफी गहन विचार-विमर्श हुए थे।

डेटा और प्राइवेसी क्षेत्र में बढ़ते हमलों के स्पष्ट और भयावह उदाहरणों के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है कि निजता को बचाए रखने के लिए हम भारत में एक प्रभावी कानून लाएँ। यूएस में स्थिति यह है कि वहाँ बिना सबूत या आधार के उठाया गया कोई भी कदम कोर्ट द्वारा स्वेच्छाचारिता या निजता के अधिकार का अतिक्रमण मान कर खारिज कर दिया जाता है। इसीलिए प्रस्तावित प्रक्रिया के फ्रेमवर्क को 'शाब्दिक एवं आत्मिक' दोनों तौर पर दृढ़ होने की जरूरत है। विधि द्वारा तय किए गए सैद्धांतिक या वैधानिक पैमाने से किसी भी तरह का विचलन या विषयांतर नागरिकों की निजता में जानबूझ कर हमले के समान होगा और भारत को सर्विलांश-स्टेट बना देगा।

साइबर लॉ एक्सपर्ट एंड फाउंडिंग पार्टनर ऑफ सेठ एसोसिएट, 721 टावर बी ऍडवंट नेविस, बिजनेस पार्क, सेक्टर-142, नोएडा-201305 मो.9810155766